न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : भवानी सिंह पंवार, आर0ए0एस0
अपील प्रकरण सं0 31/2021

1. बीरबलराम पुत्र आशाराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नम्बर 03, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर। अपीलार्थी

बनाम

1. जयनारायण पुत्र श्री राजाराम जाति मेघवाल निवासी मदेंरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. राकेश पुत्र श्री राजाराम जाति मेघवाल निवासी मदेंरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. कृष्ण पुत्र आशाराम जाति मेघवाल निवासी मदेंरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. राजाराम पुत्र श्री आशाराम जाति मेघवाल निवासी मदेंरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर। रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :
1. श्री महेश दादरवाल अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री रामप्रकाश खुडियाल

अपील विरूद्व आदेश नायब तहसीलदार हिन्दुमलकोट दिनांक 07.08.2020 प्रकरण संख्या 05/2020 जिसकी रूह से अपीलांट को बिना सुनवाई का मौका दिये एक तरफा तौर पर वाके चक 8 जी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 2 की कुल 2.328 हैक्टेयर भूमि का वसीयत के आधर पर इन्तकाल करने के आदेश दिये गये , मनसुखी बाबत।

:: आदेश :: **दिनांक :– 23.02.2022**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्व तरीके से प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत एवं बिना विधिक प्रकिया अपनाये पारित किया गया है। अपीलांट मृतका मीरादेवी का वारिस है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर किसी को नोटिस, सूचना आदि नहीं दी गई तथा एक तरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय विधिक प्रकिया का उपयोग नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायलय को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व नोटिस,सूचना आदि दी जानी आवश्यक थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दैनिक समाचार पत्र सीमान्त रक्षक की सूचना को आधार बनाकर किसी को एतराज नहीं होने के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जबकि कानूनन अपीलांट जिस क्षेत्र में रह रहा है उस क्षेत्र के अखबार में प्रकाशित करवाई जानी आवश्यक थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोकल अखबार सीमान्त रक्षक में सूचना प्रकाशित की गई जो केवल मात्र सूरतगढ एरिया में जिसका वितरण होता है जबकि अपीलांट वार्ड नम्बर 03 सादुलशहर में निवास करते है जिससे अपीलांट को सूचना होना सम्भव नहीं था। इसलिए अपीलाधीन आदेश निरस्ती योग्य

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

है। अपीलांट की माता अपीलांट से काफी प्रेम, स्नेह रखती थी, ऐसा कोई कारण नहीं था जिसके कारण अपीलान्ट को अपनी माता द्वारा सम्पत्ति से वंचित किया जावें। इस प्रकार से स्पष्ट है कि उक्त वसीयत अपीलान्ट की माता को धोखा में रखकर गुमराह करते हुए तथाकथित वसीयत करवाई गई है। विरासत व वसीयत के बीच विवाद होने की स्थिति में विरासत के आधार पर नामान्तरण स्वीकृत किया जाना विधिक कार्यवाही है। वसीयत में मृतका द्वारा अपने वारिसों को सम्पति से वंचित किया गया है और जब किसी वसीयत में उसके जायज वारिसों को सम्पति से वंचित किया जाता है तो वह संदिग्ध मानी जाती है चाहे वह रजिस्टर्ड हो उसे सदभावी व संदेह से परे नहीं माना जा सकता। वसीयत की सदभाविकता को धारा 63 भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सावित कर दिया जाता तब तक उससे वसीयत के लाभार्थी (रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2) को प्राकृतिक वारिसान के विरूद्व कोई हक नहीं मिल सकते इसके लिये वसीयत के लाभार्थी को सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत करके घोषणा करवानी चाहिये थी इसलिए भी अपीलाधीन आदेश निरस्ती योग्य है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को विना कोई नोटिस, सूचना आदि दिये पारित किया गया है इसलिए अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं थी। दिनांक 07.08.2021 को विरास्तन इन्तकाल की कार्यवाही हेतु पटवारी हल्का से मिला तो दिनांक 07.08.2021 को सर्वप्रथम जानकारी हुई जिस पर अपीलान्ट द्वारा इन्तकाल की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की उसके वाद में आलोच्य आदेश दिनांक दिनांक 18.08.2021 को प्राप्ति हुई। इस प्रकार यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत है जिसके लिये दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः अपील अपीलान्ट आदेश दिनांक 07.08.2020 को निरस्त फरमाया जावें।

अपील से संवंधित रेकार्ड तलव किया गया। उभय पक्ष की वहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी लिखित वहस में कथन किया कि अपीलांट की माता मीरा देवी के नाम से वाके चक 8 ड़ी वड़ी के मुरब्बा नम्वर 2 की कुल 2.328 हैक्टेयर कृषि भूमि थी। मीरादेवी एक अनपढ़ पर्दानशिन ग्रामीण औरत थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 एवं इनके पिता राजाराम द्वारा विवादग्रस्त कृषि भूमि को हड़पने की नियत से मीरा देवी की स्वतंत्र सहमति के खिलाफ, विना उन्हें वताये दस्तावेज की नोईयत पढ़ाये अथवा सुनाये गवाहों के साथ दुर्भिसन्धि करके वसीयत तैयार कर उप पंजीयक से तस्दीक करवा लिया तथा उक्त वसीयत के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।

1. विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है किसी भी न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत होने पर प्रभावित पक्षकार को उसके पते पर नोटिस सूचना प्रेपित करनी चाहिए लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई नोटिस/सूचना नहीं दी गयी। विना नोटिस/सूचना दिये पारित आदेश खारिज किया जाना आवश्यक है।
2. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से मिली भगत कर पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाते हए रेस्पोडेन्ट को अनूचित लाभ पहुंचाने के उदेश्य से अपीलांट को सूचना/नोटिस जारी कर सीधे ही अखवार में सार्वजनिक सूचना प्रेपित की गयी। उक्त अखवार सीमान्त रक्षक जिसका प्रकाशन सूरतगढ में होता है जवकि अपीलांट सादुलशहर में निवास कर रहे है। इस प्रकार उक्त अखवार की सार्वजनिक सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं है इसलिए भी आदेश निरस्ती योग्य है।
3. तथाकथित वसीयत में मीरादेवी द्वारा प्राकृतिक वारिसों तीन पुत्रो को अपनी विरारत से वंचित किया है। विभिन्न प्रकरणो में उच्च स्तरीय न्यायालयों द्वारा वार-वार यह प्रतिपादित किया गया है जिसमें प्राकृतिक वारिसों को वंचित किया जाता है तो ऐसी वसीयत प्रथम दृष्टया परिस्थितियों से घिरी मानी जाती है चाहे वह पंजीकृत हो।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

4. यह कि जब किसी मृतक की विरासत को लेकर प्राकृतिक वारिसान व वसीयत के मध्य विवाद है। इसलिए रेस्पोडेन्ट को सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर वसीयत को सिद्व करना/प्रोवेट जारी करवाना कानूनन आवश्यक था। कानूनी उत्तराधिकारियों के विरूद्व ऐसी वसीयत को आधार नहीं बनाया जा सकता जिसको अभी सिद्व नहीं करवाया गया हो।
5. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयतनामा की विधिक जांच नहीं की, वसीयत में वसीयत निष्पादन की तारीख तथा वसीयत में कांट–छांट की गयी हो। मृतक वसीयतकर्ता तीनों पुत्रो से बराबर–बराबर प्रेम–स्नेह रखती थी बिना कारण वंचित करना वसीयत को संदिग्ध साबित करता है।
6. यह कि अपीलांट की माता अनपढ़ पर्दानशीन औरत थी तथा रेस्पोडेन्ट के दबाव में रहने के कारण, इसी कमजोरी का अनुचित लाभ उठाकर उसकी अनपढ़ता का फायदा उठाकर , बिना बताये, सुनाये अथवा समझाये मुगालता में रखकर वसीयत गवाहान से षड़यंत्र रचकर वसीयत करवायी गयी तथा मीरा देवी द्वारा अपने जीवनकाल में कोई वसीयत के बारे में कभी किसी को नहीं बताया। इस प्रकार उक्त तथाकथित वसीयत की संदिग्धता को बल मिलता है तथा अपीलान्ट द्वारा सिविल न्यायालय में चुनौती दी जा चुकी है तथा जब तक सिविल न्यायालय द्वारा वसीयत के सम्बन्ध में निष्कर्ष नहीं दे दिया जाता तब तक उक्त वसीयत की कोई विधि मान्यता नहीं है।
7. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत को पंजीबद्व होने का आधार बनाकर आदेश पारित किया गया है। वसीयत का पंजीबद्व होना सदभावी एवं सही होने का प्रमाण नहीं होता।
8. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई सूचना नोटिस दिये आदेश पारित किया है जिसके कारण अपीलांट को आदेश की जानकारी नहीं हो सकी । जिस कारण अपीलांट निर्धारित समय में अपील पेश नहीं कर सका। जानकारी होने पर निर्धारित अवधि में अपील प्रस्तुत की गयी है जिसके लिये दफा 5 का अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। न्यायिक दृष्टान्त के अनुसार जब कोई आदेश प्रभावित पक्षकार को कोई सूचना या नोटिस दिये आदेश पारित किया जाता है तो अपील प्रस्तुत करने की दिनांक जानकारी के दिन से शुरू होगी इस प्रकार अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर इन्तकाल निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा निम्न नजीरे पेश की गई :–

1. आर.आर.डी. 1982 पेज– 332
2. डी.एन.जे. 2014(Rev) पेज– 57
3. ए.आई.आर. 2008 (एस.सी.) पेज– 300

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि नायब तहसीलदार (भू.अ.) हिन्दूमलकोट अपने प्रकरण संख्या 05/2020 द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर दिनांक 07.08.2020 को जो आदेश पारित किया गया है वह विधिक प्रकिया अपनाई जाकर पारित किया गया है। वसीयत से सम्बन्धित पक्षकारों के सम्बन्धत में अखबार में छाया करवाई जाकर एवं सम्बन्धित गवाहों के बयान लिये जाकर आदेश पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा अपील मियाद के बाहर पेश की गई जो पोषिणीय नहीं है क्योंकि नायब तहसीलदार हिन्दूमलकोट द्वारा आदेश दिनांक 07.08.2020 को पारित किया गया है जबकि अपीलांट द्वारा उक्त अपील करीब 1 वर्ष बाद पेश की गई है। अतः नायब तहसीलदार हिन्दुमलकोट द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.08.2020 बहाल रखा जाकर अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया तो पाया कि नायब तहसीलदार हिन्दुमलकोट द्वारा रजि0 वसीयत के आधार पर न्यायिक प्रक्रिया, अखबार में साया करवाया जाकर एवं सम्बन्धित गवाहों के बयान लिये जाकर आदेश पारित किया गया जो विधि सम्मत् है। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया गया है जिससे यह प्रमाणित होता हों कि विवादित भूमि जदी जायदा हो जबकि पत्रावली में उपलब्ध सनद संख्या 72949 जो कि वसीयतकर्ता स्वयं मीरादेवी के नाम से जारी है जिससे प्रमाणित होता है कि उक्त विवादित भूमि मीरादेवी की स्वयं अर्जित भूमि है।। अगर अपीलांट उक्त वसीयत से असंतुष्ट है तो उक्त वसीयत को कैन्सिल करवाने के लिए अलग से सिविल न्यायालय में चाराजोही करें। रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने के आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। अतः अपील अपीलांटस अस्वीकार किये जाने योग्य है। फलस्वरूप, अपील अपीलांट खारिज की जाती है। आदेश की प्रति रेकार्ड के साथ अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 23.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह पंवार)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर